पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मे0न0 —210/2025

अनवान : —

1. राजकुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 7 एमएसआर सरदारगढिया, भादरा।

:—वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र जीराम उर्फ श्रीराम जाति जाट निवासी 7 एमएसआर सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 7 एमएसआर सरदारगढिया तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री जयसिंह पत्नी शिवनारायण जाति जाट निवासी सरदारगढिया हाल करनपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री हनुमान सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री अनिकेत झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एमएसआर, पटवार हल्का सरदारगढिया के 104/94 के मु०नं0 59 के किला नं. 11, 20, 21 कुल किता 3 की 0.7590 है० नहरी, मु०नं० 60 के किला नं. 1, 10/1, 10/2 कुल किता 7 की 0.9730 है0 नहरी, 0.0390 है० गै०मु० रास्ता, कुल किता 10 की 1.7710 है0, जिसमे 1.7320 है0 नहरी, 0.0390 है0 गै०मु० रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते की दर्ज है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही मौजा चक 11 एमएसआर, पटवार हल्का मुन्सरी के 95/92 के मु० नं० 18 के किला नं. 14 ता 17, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 7 की 1.4930 है0 नहरी, 0.0250 है० गै०मु० खाला, मु० नं० 29 के किला नं. 3 ता 8 कुल किता 6 की 1.5180 है० नहरी, मु०नं0 31 के किला नं. 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 18 की 2.9220 है० नहरी, 0.0390 है० गै०मु० रास्ता, 0.0750 है० गै०मु० खाला, मु०नं० 40 के किला नं0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 8, 9, 13 कुल किता 11 की 1.6710 है0 नहरी, 0.1000 है० गै०मु० रास्ता, कुल खसरे 42 की 7.8430 है०, जिसमे 7.6040 है0 नहरी, 0.200 है० गै०मु० खाला, 0.0390 है० गै०मु० रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे शामिल खाते की दर्ज है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में वादी संख्या 1 राजकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 पवन कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं चक 7 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 प्रार्थी के नाम यथावत रखी जावें चूंकि प्रतिवादी सं0 [illegible] हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इ[illegible]ाग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प [illegible] कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़